प्रातारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/10326/2003/बीकानेर परमाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—

श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक प्रार्थी

श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 1—2—2023

1— यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के विरूद्व जिला कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 17—2—2003 के प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को चक 37 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 161/39 के किला नंबर 10 में कुल 5 बीघा कमाण्ड रकबा दिनांक 5—10—87 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी, छत्रगढ़ मु. बीकानेर द्वारा आरक्षित कीमत से दुगुनी कीमत लेकर स्मॉलपेच में आवंटन किया गया । प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर आवंटन आदेश जारी किया तब से काबिज है । दिनांक 14—7—93 को आयुक्त उपनिवेशन द्वारा उक्त आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 6—7—2001 को स्वीकार कर रिमाण्ड की गई । जिला कलेक्टर द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में दिनांक 17—2—2003 को अप्रार्थी के आवंटन को निरस्त कर भूमि का कब्जा बहक सरकार लिए जाने के आदेश पारित किए । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17—2—2003 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

प्रातारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/10326/2003/बीकानेर परमाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि प्रार्थी को विवादित भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया था एवं उक्त रकबा आवंटन के लिए उपलब्ध था, जो स्मॉल पेच की श्रेणी में आने से आवंटन योग्य था । राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 6—7—2001 द्वारा मौके की जांच के स्पष्ट निर्देश दिए थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं कर निगरानीधीन आदेश पारित किया, जो निरस्त योग्य है । प्रार्थी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति द्वारा आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त विवादित रकबा को 5 बीघा 8 बिस्वा मानने में त्रुटि की है, क्योंकि जब मौके पर नहर व वन विभाग के बडे पेड़ मौजूद है तो उस रकबा को आराजी राज मानना विधि विरूद्ध है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रकबे को आराजी राज मानकर आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है । अतः निगरानी स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें। 4— विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी आवंटन के समय मौके पर 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि आराजीराज दर्ज थी। जिसका स्मॉल पेच में आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन नियम 14 के अनुसार स्मॉल पेच में 5 बीघा कमाण्ड व 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया जा सकता है । द्वितीय उक्त भूमि धारित भूमि के समीपस्थ न होकर काफी दूर थी। इसलिए नियम विरूद्ध आवंटन को निरस्त कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया है । अतः निगरानी खारिज की जावे ।	

प्रातारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/10326/2003/बीकानेर परमाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । 6— हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी परमाराम को सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्रगढ़ एवं आवंटन अधिकारी द्वारा चक 37 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 161/39 के किला नंबर 10, 11, 12, 13, 18, 19 ,20 ,21, 22 में कुल 5 बीघा कमाण्ड दिनांक 5—10—87 को स्मॉल पेच में आवंटित की गई । उक्त आवंटन को आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने निर्णय दिनांक 14—7—93 को खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने निर्णय दिनांक 6—7—2001 से इस निर्देश के साथ कि मौके पर जो रकबा उपलब्ध था वह 5.8 बीघा का अथवा 5 बीघा का। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती हुई है अथवा नहीं। इन बिन्दुओं की जांच पश्चात् विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । इस संबंध में जिला कलेक्टर, द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई। उक्त रिपोर्ट दिनांक 24—11—2001 के अनुसार चक 37 केवाई डी का के मुरब्बा नंबर 161/39 के किला नंबर 10,11,12,13,18, 19, 20, 21, 22 में कुल 5 बीघा 8 बिस्वा कमाण्ड भूमि आवंटन समय आराजीराज भूमि थी एवं मुरब्बा नंबर 142/50 , 142/51 प्रार्थी के नाम से भूमि है परन्तु मुरब्बा नंबर 161/39 से काफी दूरी पर है, जो स्मॉल पेच की श्रेणी में नहीं आती है । इसी प्रकार सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भी 37 केवाईडी के किला नंबर 9,10,11,12,13,18, 19, 20, 21, 22 में कुल 6—15 बीघा कमाण्ड भूमि है । इस प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलदार व सिंचाई विभाग की रिपोर्ट मंगवाकर ही पुनः परीक्षण किया गया था । उक्त भूमि प्रार्थी की भूमि से काफी दूरी पर है तथा स्मॉल पेच की श्रेणी में नहीं आती है जिसमें उन्होंने उक्त आवंटन को नियम 14 के तहत प्रावधानों के विपरीत मानकर निर्णय पारित किया है ।	

प्रातारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/कोलो/10326/2003/बीकानेर** **परमाराम बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सभी बिन्दुओं पर जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। ऐसे विधिसम्मत आदेश में किसी प्रकार की कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जावे । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा निगरानी खारिज योग्य है। 7— परिणामतः यह निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	

प्रातारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/10326/2003/बीकानेर परमाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए